ष्ट्रीय स्तर के समुद्रतटीय विहार के रूप में विकास किया जा रहा है।

(ख) कोवालम् योजना के मुख्य मुख्य अंग ये हैं। एक 100 कमरे वाला होटल, 40 कुटीर, एक समुद्र-तटीय सेवा केन्द्र, और एक ओपन एयर थियेटर, एक योग व मालिश केन्द्र एवं जल क्रीड़ा सुविधाओं की व्यवस्था।

Circulation of five Rupees notes in Tamil Nadu.

7644. SHRI S. A. MURUGANANTHAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a five rupee note with picture of M. G. Ramachandra is in circulation in Tamil Nadu in order to popularise family planning;

(b) whether many innocent people in Tamil Nadu have been cheated with the help of the said fake note ; and

(c) if so, the steps Government propose to take in this matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) to (c). The information is being collected from the Government of Tamil Nadu and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Loans and advances to states from the Reserve Bank of India.

7645. SHRI Y. S. MAHAJAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there has been a sharp decline in the loans and advances of the Reserve Bank of India to the State Governments; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) (a) and (b). The outstanding loans and advances to State Governments from the Reserve Bank of India including advances from the Bank's National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and overdrafts which stood at Rs. 762 42 crores as on 28th April, 1972 have come down to Rs. 100.28 crores as on 19th May, 1972. The reduction is mostly on account of the clearance of the State Governments' overdrafts.

मथुरा में छोटे सिक्कों का गलाया जाना

7646. श्रीमती मिनिमाता अगमदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मथुरा शहर में छोटे सिक्कों को गला कर कृत्रिम चांदी तैयार की जाती है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर अवैध कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख). केन्द्रीय जांच कार्यालय (सैंट्रल ब्यूरो आफ इंवस्टीगेशन) के अनुसार, जिसने इस मामले की जांच की है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह पता चलता हो कि छोटे सिक्कों को पिघलाये जाने से मिलने वाली धातु को मथुरा शहर में चांदी के रूप में चलाया जा रहा है।

Seizure of Certain Documents from Shri Kapashi, Proprietor Ruby Coach and Body Builders, Bombay.

7647. SHRI MALLIKARJUN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Shri Kapashi, Proprietor of M/s Ruby Coach and Body Builders, Bombay, was apprehended by the Customs authorities at the Santa Cruz airport, Bombay, and a Swiss Bank statement in his favour was found from his person;

(b) if so, whether the Bank statement was handed over to the Enforcement Directorate for further investigation;

(c) whether the seized documents revealed transactions relating to the Income-tax Department; and

(d) if so, what action has been taken by the Income-tax Authorities in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) (a) and (b). Shri D. S. Kapashi of M/s. Ruby Coach and Body Builders, Bombay, was apprehended on 15 11-71 by the Customs officers at the Santa Cruz airport Bombay, and while no Swiss Bank statement was found on his person, a letter from a Swiss Bank was recovered which indicated that he held some funds in that Bank. This letter was made over to the Enforcement Directorate for furthor investigation.

(c) and (d). The matter is under investigation.

उत्पादनशुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

7648. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के उत्पादनशुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : वित्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों के पद राजपत्रित, श्रेणी II के पद हैं । सामान्यतया, सीधी भर्ती द्वारा श्रेणी II के पदों पर नियुक्तियाँ संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं और, एतदनुसार, इन पदों के लिए भर्ती करने के लिए आयोग से कहा गया था । लेकिन इन पदों के लिए भर्ती का कार्यभार आयोग नहीं ले सका क्योंकि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इसी प्रकार के पदों के लिए आयोग द्वारा इससे पहले की गई भर्ती की कार्यवाही रिट याचिका का विषय बन गई थी । आयोग ने सलाह दी थी कि केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग में पदों को आयोग से परामर्श किए बिना ही तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए भर लिया जाय, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय था । इसके पश्चात् इन पदों को रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित किया गया था और वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन विभागाध्यक्षों को भी इन पदों के बारे में सूचित किया गया था । जिन विभिन्न व्यक्तियों ने इन पदों के लिए आवेदन-पत्र भेजे थे तथा जो निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं को पूरा करते थे उनकी लिखित परीक्षा ली गयी । भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस परीक्षा के लिए परीक्षा-पत्र बनाया गया था तथा उत्तर-पुस्तिकाओं की जाँच की गयी थी । जिन व्यक्तियों ने इस लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करके योग्यता प्राप्त की, उनका बाद में एक चुनाव-समिति द्वारा साक्षात्कार किया गया, जिसमें केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड का एक सदस्य, केन्द्रीय उत्पादशुल्क का एक समाहर्ता, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का एक वरिष्ठ अधिकारी और केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के प्रशासन का कार्यभारी सचिव शामिल था । लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गये कुल अंकों के आधार पर 19 उम्मीदवारों की एक प्रवर-सूची तैयार की गयी थी जो बिल्कुल योग्यता-क्रम के अनुसार थी । इनमें से 11 उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी के पदों के लिए नियुक्ति-पत्र भेजे गये हैं । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर एक नियमित आधार पर भर्ती किये जाने तक ये नियुक्तियाँ बिल्कुल तदर्थ तथा अस्थायी आधार पर की गयी हैं ।